# सराहनीय कार्य

## इटावा पुलिस

*प्रेस नोट- दिनांक 06.11.2026*

**TAKING A BITE OUT OF CRIME 24/7**

- **पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले रु025,000/- के इनामियाँ वांछित अभियुक्त( पति) को इटावा पुलिस ने किया गिरफ्तार।**

**अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी चकरनगर श्री अभयनारायण राय के नेतृत्व में थाना भरेह पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही**

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 03.11.2026 को वादी अभिलाख सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम नवादा महिपतसाह, थाना अयाना, जनपद औरैया, द्वारा थाना भरेह पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी बहन की उसके पति द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भरेह पर मु0अ0सं0 12/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

**गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-**

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 06.11.2026 को थाना भरेह पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त कही जाने की फिराक में महुआसूडा के पास खडा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शिव पूजन को महुआसूडा के पास से गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. शिवपूजन पुत्र नत्थूसिंह उर्फ नाथू सिह निवासी पहलन थाना भरेह जनपद इटावा उम्र 39 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग:-**

मु0अ0सं0 12/2026 धारा 103(1) बीएनएस,थाना भरेह जनपद इटावा।

**पुलिस टीम:-** थानाध्यक्ष जगदीश भाटी थाना भरेह मय टीम।